(वाद सं०– 2863/4/10/2022)

20.02.2023

प्रसंगाधीन मामला **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना** द्वारा प्रतिष्ठान कोड BR/99933 के सभी कर्मियों का वेतन मद से कटौती की गयी कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि, उनके EPF खाता में प्रविष्ट नहीं करने से संबंधित परिवादी, **संगम लाल महतो, तत्कालीन सहायक लेखापाल, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरशन लिमिटेड** के परिवाद से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरशन लिमिटेड द्वारा वर्ष–2008–09 से कर्मचारियों की कटौती की गयी वेतन मद से कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना में बैंक Draft एवं अंशदाताओं की सूची के साथ जमा किया गया है, परन्तु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना द्वारा बहुत से कर्मचारियों का वर्ष–2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में उनके EPF खाता में उक्त राशि को जमा नहीं किया गया है।

उक्त पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, **श्री एम० एस० आर्या, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित संस्थान द्वारा कर्मचारियों के Statutory return को दाखिल नहीं किये जाने के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है।**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि बिहार स्टेट बिवरेजेज

कॉरपोरशन लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों का कर्मचारी अंशदान की राशि एवं नियोक्ता अंशदान की राशि की विवरणी नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय, पटना को जमा कर दी गयी है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना द्वारा संबंधित कर्मचारियों के EPF खाता में उक्त राशि जमा नहीं की गयी। उनके द्वारा इस संबंध में कुछ कागजातों को अपने प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित किया गया है।

परिवादी के परिवाद पत्र (पृष्ठ 2–01/प0), उक्त पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 04/प0) तथा उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्राप्त प्रत्युत्तर (पृष्ठ 31–06/प0) की प्रति संलग्न कर प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरशन लिमिटेड, पटना को भेजते हुए उनसे यह अनुरोध है कि परिवादी संगम लाल महतो सहित सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के इस सम्बन्ध में शिकायत का नियमानुसार समाधान कर कृत कार्रवाई, से आदेश पारित होने के 08 सप्ताह के अंदर, परिवादी को उनके दिये गये पतें पर सूचित कर दिया जाय।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति परिवादी को सूचनार्थ उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक